पूर्ण पीठ

मुख्यन्यायमूर्ति हरबंस सिंह, आर.एस. नरूला और न्यायमूर्ति पी.सी. जैन के समक्ष

शांति देवी --- *अपीलकर्ता।*

बनाम

महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज, अंबाला और अन्य --- उत्तरदातागण।

लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 274 सन 1970

15 मार्च, 1971

लेटर्स पेटेंट - खंड X - मोटर वाहन अधिनियम (IV सन 1939*) - धारा 110-डी - मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का निर्णय - उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा तय किए गए फैसले के खिलाफ अपील - ऐसे निर्णय के खिलाफ पेटेंट अपील – क्या अपील कि जा सकती है- धारा 110-डी के तहत अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय के समक्ष - क्या अदालत के रूप में कार्य करता है - धारा* 110-डी *के तहत अपील में आदेश - क्या एक 'निर्णय' - मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही – क्या मध्यस्थता कार्यवाही की प्रकृतिके समान होगा।*

यह अभिनिर्णीत किया गया कि लेटर पेटेंट के खंड X के तहत अपील मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-डी के तहत दिए गए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ निस्तारित उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ है। (पैरा 1)

यह अभिनिर्णीत किया गया कि उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 110-डी के तहत अपील की सुनवाई करते हुए एक 'न्यायालय' के रूप में कार्य करता है। (पैरा 4)

यह अभिनिर्णीत किया गया कि अधिनियम की धारा 110-डी के तहत अपील में एक आदेश प्रकृति में अंतिम और निश्चित है। यह निर्णायक रूप से मुद्दे में सभी मामलों के संबंध में पार्टियों के अधिकार को निर्धारित करता है। इसलिए अधिनियम की धारा 110-डी के तहत अपील पर निर्णय लेते समय एकल न्यायाधीश का आदेश लेटर्स पेटेंट के खंड X के अर्थ के भीतर एक 'निर्णय' है। (पैरा 5)

यह अभिनिर्णीत किया गया कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में मध्यस्थता कार्यवाही के साथ कोई समानता या झलक नहीं है। यह सही है कि अधिनियम में दावा न्यायाधिकरण के निर्णय को एक निर्णय कहा जाता है, लेकिन यह अपने आप में एक निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं होगी कि दावा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही मध्यस्थता कार्यवाही की प्रकृति में है, और दावा न्यायाधिकरण एक मध्यस्थ के रूप में मामले का फैसला करता है। 'पुरस्कार' शब्द का उपयोग 'डिक्री' शब्द के पर्याय के रूप में किया गया है और इसका उपयोग इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए नहीं किया गया है कि दावा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही मध्यस्थता कार्यवाही की प्रकृति में है। सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए दावा न्यायाधिकरण उसी तरह से समान कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करता है जैसे कि कानून की अदालत से अपेक्षा की जाती है। इसलिए दावा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही मध्यस्थता कार्यवाही की प्रकृति में नहीं है और दावों का निपटान करते समय दावा न्यायाधिकरण एक अदालत के रूप में कार्य करता है। (पैरा 7)

माननीय न्यायमूर्ति सी.जी. सूरी के दिनांक 25 फरवरी, 1970 *के एफ.ए.ओ सं 14 सन 1964, श्रीमती शांति देवी* बनाम *महाप्रबंधक,*

पंजाब रोडवेज, अंबाला एवं अन्य के निर्णय, जिसमे मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पंजाब, चंडीगढ़ के श्री जी.एस.ज्ञानी के दिनांक 10 सितम्बर, 1963 *के आदेश को निरस्त करते हुए* विधवा और नाबालिग बच्चों को *मुआवजे* के रूप में 20,000/- रुपये की राशि की अनुमति दी *गई थी, के विरुद्ध उच्च यायालय के लेटर्स पेटेंट के खण्ड X के अंतर्गत लेटर्स पेटेंट अपील।*

एम.एस. जैन, अपीलकर्ताओं की ओर से।

जी. सी. मित्तल, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं की ओर से।

निर्णय

न्यायमूर्ति पी.सी. जैन — इन मामलों में जिस संक्षिप्त प्रश्न के निर्धारण की आवश्यकता है, उसे इस प्रकार कहा जा सकता है:-
क्या मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 110-डी (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत दिए गए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (इसके बाद दावा न्यायाधिकरण के रूप में संदर्भित) के फैसले के खिलाफ दायर अपील में विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपील की जाती है?

2) इस न्यायालय का दृष्टिकोण जैसा कि फाजिल्का-डबवाली ट्रांसपोर्ट कंपनी, (निजी), लिमिटेड बनाम मदन *लाल*[1], 1968 पी.एल.आर 9, *में पीठ के निर्णय से स्पष्ट है*, में कहा गया है कि लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत ऐसी अपील सक्षम नहीं है। प्रारंभिक सुनवाई के समय, उक्त पीठ के फैसले की शुद्धता को चुनौती दी गई थी और दिल्ली उच्च न्यायालय के एक पूर्ण पीठ के फैसले के आधार पर दिल्ली नगर *निगम* बनाम *कुलदीप लाल भंडारी और अन्य*[2] के मामले में यह तर्क दिया गया था कि एक अपील लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत है और फाजिल्का-डबवाली ट्रांसपोर्ट कंपनी के मामले (1) में इस अदालत का पीठ का निर्णय सही कानून निर्धारित नहीं किया। अपीलकर्ता के विद्वान वकील की दलील में कुछ दम पाते हुए, इन अपीलों को स्वीकार कर लिया गया और एक पूर्ण पीठ द्वारा सुनवाई करने का आदेश दिया गया। इन परिस्थितियों में ये अपीलें हमारे समक्ष सुनवाई के लिए आई हैं।

3) जिस बिंदु पर विचारण की आवश्यकता है, उस पर अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री एम.एस. जैन द्वारा क्षमता के साथ तर्क दिया गया था। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया था कि दावा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही मध्यस्थता कार्यवाही की प्रकृति में नहीं थी और यह न्यायालय एक अदालत के रूप में अधिनियम की धारा 110-डी के तहत अपील का फैसला करता है। यह भी तर्क दिया गया था कि दावों का निपटान करते समय दावा न्यायाधिकरण एक अदालत के रूप में भी कार्य करता है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील की दलील पर, पहला सवाल जिसके निर्धारण की आवश्यकता है, वह अधिनियम की धारा 110-डी के तहत अपील से निपटने वाले उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की प्रकृति है।

4) यह प्रश्न फाजिल्का डबवाली ट्रांसपोर्ट कंपनी के *मामले (1) में विचार के लिए आया था*, जिसमें मामले के इस पहलू पर, न्यायमूर्ति

---

[1] आई.एल.आर. (1968)1 पंजाब और हरियाणा 625-1968 पी.एल.आर.

[2] 1969 पी.एल.आर. 318 (दिल्ली खंड)

शमशेर बहादुर, जिन्होंने निर्णय तैयार किया था, ने इस प्रकार टिप्पणी की (रिपोर्ट के पृष्ठ 13 और 14 पर): –

"श्री गोस्वामी ने अपनी इस दलील के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से समर्थन मांगा है कि अपील का अधिकार क़ानून द्वारा प्रदान किया गया है और यह एक अधिकार नहीं है जो सामान्य कानून के तहत उच्च न्यायालय को दिया गया है। न तो ट्रिब्यूनल और न ही इसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय सख्ती से एक अदालत बोल रहा है; वास्तव में, धारा 110-सी में नियोजित वाक्यांशविज्ञान ही उस इरादे का संकेत है। जांच करने में दावा अधिकरण को कतिपय विनिदष्ट प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय की कतिपय शक्तियां प्रदान की गई हैं। जाहिर है, ट्रिब्यूनल को एक अदालत के रूप में नहीं माना जा सकता है, सख्ती से बोलते हुए, और "पुरस्कार" शब्द का उपयोग इसकी कार्यवाही को मध्यस्थता का रंग देता है। स्वाभाविक रूप से, यह नहीं कहा जा सकता है कि लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपील के अधिकार का अनुमान लगाया जाना है; यह विशेष रूप से दिया जाना चाहिए।

* * * * * * *

* * * * * * *

इन दोनों अंग्रेजी निर्णयों में तर्क का सूत्र यह है कि जहां एक क़ानून एक स्थापित न्यायालय को सुनवाई का अधिकार प्रदान करता है, तो अपील के संबंध में प्रक्रिया की सामान्य घटनाएं लागू होंगी। क्या वर्तमान उदाहरण में यह कहा जा सकता है कि दावा न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय ने स्थापित न्यायालय के रूप में संदर्भित मामलों की सुनवाई की? मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर अधिनियम की धारा 110-बी से 110-एफ की स्थापना और पृष्ठभूमि को देखते हुए नकारात्मक होगा, दावा न्यायाधिकरण को सिविल कोर्ट से अलग दर्जा दिया गया है और इसी तरह उच्च न्यायालय में अपील को मूल कार्यवाही से अपना रंग और रंग लेना चाहिए और कानून की विशेष शर्तों के अधीन होना चाहिए।"

निर्णय में चर्चा से, यह स्पष्ट है कि उपरोक्त उद्धृत टिप्पणियां मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियो के फैसले *हँसकुमार किशन चंद* बनाम *भारत संघ*[3] के आधार पर की गई थीं, जिसमे न्यायमूर्ति वेंकटराम अय्यर ने रिपोर्ट के पृष्ठ 952 पर इस प्रकार टिप्पणी की है:

"धारा 19(1)(बी) के तहत, संदर्भ निश्चित रूप से एक मध्यस्थ के पास है। उसे किसी न्यायालय का न्यायाधीश होने की भी आवश्यकता नहीं है। यह पर्याप्त है कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के योग्य है। और कानून के तहत, इस तरह के मध्यस्थ के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं की जाएगी। इस प्रकार, धारा 19 (1) (एफ) के तहत उच्च न्यायालय में अपील के प्रावधान को केवल एक नामित प्राधिकरण के रूप में संदर्भ के रूप में माना जा सकता है, न कि अदालत के रूप में। तथ्य यह है कि, वर्तमान मामले में, एक जिला न्यायाधीश के लिए संदर्भ था, स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा। फिर, धारा 19 (1) (बी) के तहत नियुक्त मध्यस्थ के निर्णय को धारा 19 (1) (एफ) में स्पष्ट रूप से एक पुरस्कार के रूप में संदर्भित किया गया है। अब, एक अपील अनिवार्य

[3] ए.आई.आर.1958 एस.सी. 947.

रूप से मूल कार्यवाही की निरंतरता है, और यदि धारा 19 (1)(बी) के तहत कार्यवाही मध्यस्थता कार्यवाही है, तो यह देखना मुश्किल है कि अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष लाए जाने पर उनके चरित्र में बदलाव कैसे हो सकता है। विशेष अधिकारी, साल्सेट बिल्डिंग साइट्स बनाम दोसाभाई बेजोंजी[4], *विशेष अधिकारी साल्सेट बिल्डिंग साइट्स* बनाम दोसाभाई बेजोंजी[5], मानविक्रमन तिरुमुलपाद *बनाम नीलग्रिस के कलेक्टर*[6] और *भारत के राज्य सचिव बनाम हिंदुस्तान सहकारी बीमा सोसाइटी लिमिटेड*[7] में निर्णय इस दृष्टिकोण पर मिले कि एक फैसले के खिलाफ अपील का हिस्सा बना हुआ है, और मूल मध्यस्थता कार्यवाही का एक और चरण है। हमारे विचार में, एक कार्यवाही जो शुरुआत में एक मध्यस्थता कार्यवाही है, उसे मध्यस्थता के रूप में अपना चरित्र बनाए रखना चाहिए, भले ही इसे अपील में लिया गया हो, जहां यह कानून द्वारा प्रदान किया गया हो।''

लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति के नवीनतम निर्णय *कलेक्टर, वाराणसी* बनाम *गौरी शंकर मिश्रा और अन्य*[8] के अनुसरण मे उपरोक्त *हँसकुमार किशन चंद* (3) का निर्णय अब इस क्षेत्र मे सही प्रतीत नहीं होता है क्योंकि उस फैसले में स्पष्ट रूप से असहमति व्यक्त की गई है। *गौरी शंकर* के मामले (8) में शामिल प्रश्नों में से एक यह था कि क्या भारत के रक्षा अधिनियम की धारा 19(1)(एफ) के तहत अपील में उच्च न्यायालय का निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 133 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के लिए विशेष अनुमति के लिए उत्तरदायी था। भारत के रक्षा अधिनियम के तहत धारा 19(1)(एफ) में निहित अपील का प्रावधान निम्नलिखित शर्तों में है:

"मध्यस्थ के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी, सिवाय उन मामलों के जहां उसकी राशि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम द्वारा इस संबंध में निर्धारित राशि से अधिक नहीं है।''

उक्त प्रावधान का अर्थ लगाते हुए और इस प्रश्न पर भी कि क्या उच्च न्यायालय ने मध्यस्थ के निर्णय के खिलाफ अपील पर निर्णय लेते समय 'अदालत' के रूप में कार्य किया, न्यायालय की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति हेगड़े ने इस प्रकार टिप्पणी की (रिपोर्ट के पृष्ठ 387 और 388 पर): -

"(5) तथ्य यह है कि धारा 19 (1) (बी) के तहत नियुक्त मध्यस्थ या तो एक नामित व्यक्ति या एक न्यायाधिकरण है - चाहे वह नामित व्यक्ति हो या एक न्यायाधिकरण जिसे हम कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं - किसी भी तरह से इस सवाल पर नहीं सुनता है कि धारा 19 (1) (बी) के तहत संदर्भित 'उच्च न्यायालय' एक अदालत है या नहीं। हमारे कानून ऐसे उदाहरणों से भरे हुए हैं जहां नामित व्यक्तियों और न्यायाधिकरणों के निर्णयों के खिलाफ न्यायालयों में अपील या संशोधन प्रदान किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, अधिवक्ता अधिनियम, व्यापार चिह्न अधिनियम देखें। इस संबंध में संदर्भ उपयोगी रूप से *राष्ट्रीय सिलाई थ्रेड कंपनी,* बनाम *जेम्स*

---

[4] आई.एल.आर. 37 बॉम्बे 506.
[5] 17 कैल.डब्ल्यू.एन. 421 (पी.सी.)
[6] आई.एल.आर. 41 मद्रास 943, ए.आई.आर. 1919 मद्रास 626
[7] 58 आई.ए. 259, ए.आई.आर. 1931 पी.सी., 149
[8] ए.आई.आर. 1968 एस.सी. 384

चैडविक ब्रदर्स[9] (जिसका संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है) और *राज्य सचिव* बनाम *चेलिकानी रामा राव*[10] में लिए गए निर्णयों का लिया जा सकता है।

(6) प्रथम दृष्टया यह कहना असंगत प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय एक 'न्यायालय' नहीं है। किसी राज्य का उच्च न्यायालय राज्य की न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर होता है। यह रिकॉर्ड का न्यायालय है। उच्च न्यायालय को 'अदालत' के अलावा कुछ और समझना मुश्किल है। हम इस बात से अनजान हैं कि उच्च न्यायालय को न्यायालय को छोड़कर कोई न्यायिक शक्ति सौंपी गई है। जब भी यह अपने सामने आने वाले किसी भी विवाद का फैसला करता है या निर्धारित करता है, तो हमेशा 'अदालत' के रूप में ऐसा करता है। इसके अलावा, जब धारा 19 (1)(एफ) विशेष रूप से कहती है कि मध्यस्थ के आदेश के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में होती है, तो हमें यह सोचने का कोई औचित्य नहीं दिखता है कि विधायिका ने कुछ ऐसा कहा जो इसका मतलब नहीं था।

(7) अब हम हंसकुमार किशन चंद बनाम भारत संघ(3) मामले में इस न्यायालय के निर्णय की ओर अपना ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं, जिस पर, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, श्री गोयल ने अपनी प्रारंभिक आपत्ति के समर्थन में बहुत अधिक भरोसा व्यक्त किया था। उस मामले में निर्णय के लिए जो मुख्य प्रश्न उठा वह यह था कि क्या धारा 19 (1) (एफ) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 109 में पाए गए उन शब्दों के अर्थ के भीतर एक निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश था। अदालत ने प्रतिवादी, भारत संघ की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि यह निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश नहीं था, और ऐसा होने पर, संघीय न्यायालय में अपील करने के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 109 और 110 के तहत कोई प्रमाण पत्र उच्च न्यायालय द्वारा नहीं दिया जा सकता था। उस मामले में इस न्यायालय को अनुच्छेद 136 के दायरे पर विचार करने के लिए नहीं बुलाया गया था। इसलिए, यह इस सवाल पर नहीं गया कि क्या अपील किए गए फैसले को अनुच्छेद 136 के दायरे में आने वाला निर्धारण माना जा सकता है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि विचाराधीन निर्णय एक निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश नहीं है, इस न्यायालय ने *रंगून बोटाटुंग कंपनी बनाम कलेक्टर रंगून*[11], *विशेष अधिकारी, साल्सेट बिल्डिंग साइट्स बनाम* दोसाभाई बेजोंजी मोतीवाला*(5),* मनविक्रमन तिरुमलपद *बनाम नीलगिरी के कलेक्टर(6), और* राज्य सचिव बनाम हिंदुस्तान को-ऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड(7) के निर्णयों पर भरोसा किया। इन निर्णयों के प्रभाव को एससीआर के पृष्ठ 1,186 और 1,187 में उसी निर्णय में अभिव्यक्त किया गया है: (एआईआर के पृष्ठ 951 पर) और यह इस तरह से रखा गया है:

"उपरोक्त अधिकारियों में निर्धारित कानून को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है। यह एक न्यायालय द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय नहीं है जिसे नागरिक प्रक्रिया संहिता या लेटर्स पेटेंट के प्रावधानों के भीतर निर्णय, डिक्री या आदेश कहा जा सकता है। ऐसा है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जिस कार्यवाही में यह दिया गया था वह न्यायालय के समक्ष उसके सामान्य नागरिक अधिकार क्षेत्र में आई थी या डे हॉर्स यह एक *नामित व्यक्ति* के रूप में। जहां विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से निर्धारण

---

[9] 1953 एस.सी.आर. 1028, ए.आई.आर. 1953 एस.सी. 357

[10] 43 आई.ए. 192, ए.आई.आर. 1916 पी.सी. 21

[11] 39 आई.ए. 197 (पी.सी.)

के लिए न्यायालय को भेजा जाता है, जैसा कि निम्नानुसार है *रंगून मामला*, (11), (पीसी), या जहां यह उस पुरस्कार के खिलाफ अपील के माध्यम से आता है जिसे निम्नानुसार कहा गया है *विशेष अधिकारी साल्सेट बिल्डिंग साइटें* बनाम *दोसाबाई बेजोंजी,* (4), *मनविक्रमन तिरुमुलपद* बनाम *नीलग्रिस के कलेक्टर* (6) और *भारत के लिए राज्य सचिव* बनाम *हिंदुस्तान को-ऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड* (7), *तब* यह निर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता या लेटर्स पेटेंट के तहत निर्णय, डिक्री या आदेश नहीं है।''

इस न्यायालय ने जिन निर्णयों पर भरोसा किया है, वे केवल इस प्रस्ताव को निर्धारित करते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा किसी निर्णय के खिलाफ अपील में दिया गया निर्णय न तो डिक्री है, न ही अंतिम आदेश का निर्णय है। उपर्युक्त निर्णयों में से किसी में भी यह प्रस्ताव निर्धारित नहीं किया गया है कि उच्च न्यायालय ने अपनी अपीलीय शक्ति का प्रयोग करते हुए एक 'न्यायालय' के रूप में कार्य नहीं किया, इस न्यायालय के निर्णय में टिप्पणी कि धारा 19 (1) (एफ) के तहत उच्च न्यायालय में अपील के प्रावधान को केवल एक नामित प्राधिकरण के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, न कि अदालत के रूप में, उन निर्णयों से कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है। न ही हमें उस निष्कर्ष के लिए कोई ठोस आधार मिलता है। जहां तक विद्वान न्यायाधीशों का संबंध है, जिन्होंने उस मामले का निर्णय लिया, हम उस निष्कर्ष से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। धारा 19 (1) (एफ) के तहत कार्य करते हुए हमारे फैसले में। उच्च न्यायालय एक 'अदालत' के रूप में धन देता है, न कि एक नामित व्यक्ति के रूप में। इस संबंध में हमारे निष्कर्ष को न्यायिक समिति के निर्णय *राज्य सचिव* बहुत *चेलिकानी रानिया राव* (10), जिसका उल्लेख पहले किया गया था, से समर्थन प्राप्त होता है। अपने निर्णय के अनुपात *रंगून बोटाटुंग कंपनी* मामला (11), डनफेरमलाइन के न्यायमूर्ति शॉ ने यही देखा (रिपोर्ट के पृष्ठ 198 पर):

''याचिका में कहा गया है, 'यह आग्रह किया गया कि (1912) 39 इंड ऐप 197 (पीसी) के मामले में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया जिसने वर्तमान में ऐसे मामलों में जिला न्यायालय के फैसले से सभी अपीलों को बाहर रखने के लिए एक मिसाल कायम की। उनके लॉर्डशिप को नहीं लगता कि ऐसा है। में *रंगून मामला* (11), लार्ड अधिग्रहण अधिनियम के तहत कलेक्टर द्वारा एक निश्चित पुरस्कार दिया गया था। इस निर्णय की पुष्टि न्यायालय द्वारा की गई थी, जिसका अर्थ अधिनियम के तहत मूल अधिकार क्षेत्र का एक प्रमुख सिविल न्यायालय था। दो न्यायाधीश 'न्यायालय' के रूप में बैठे और उच्च न्यायालय के रूप में भी जिसमें 'न्यायालय' के फैसले से अपील दी जाती है। हालांकि, कार्यवाही शुरू से अंत तक स्पष्ट रूप से और वास्तव में मध्यस्थता कार्यवाही थी। मुकदमे की प्रकृति और विशेष क़ानून के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, यह माना गया था कि उस मूल्य के निर्धारण के लिए क़ानून द्वारा विशेष रूप से स्थापित न्यायालयों की तुलना में 'भूमि के मूल्य के बारे में मध्यस्थता में किए गए फैसले को आगे ले जाने' का कोई अधिकार नहीं था।''

उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, यह माना गया कि धारा 19(1) (एफ) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय एक 'दृढ़ संकल्प' था और अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अवकाश देना न्यायालय की योग्यता के भीतर था। सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप के इस नवीनतम निर्णय को ध्यान में रखते हुए *गौरी शंकर का मामला* (8) मामले के इस पहलू पर अब विस्तार से बात करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सीधे कहा जा सकता है कि यह न्यायालय, अधिनियम की धारा 110-डी के तहत अपीलो की सुनवाई करते समय, एक अदालत के रूप में कार्य करेगा और यह कि एक कार्यवाही, भले ही इसकी शुरुआत में मध्यस्थता कार्यवाही की झलक हो, अपील में अपने चरित्र को बरकरार नहीं रखेगी। विद्वान न्यायाधीशों द्वारा लिया गया विपरीत दृष्टिकोण *फाजिल्का डबवाली ट्रांसपोर्ट कंपनी* मामला (1), जो मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति द्वारा

हँसकुमार किशन चंद मामला (3) के फैसले पर आधारित था, अच्छा कानून नहीं है।

5) यह मुझे अगले प्रश्न पर ले जाता है कि क्या धारा 110-डी के तहत अपील में आदेश पत्र पेटेंट के खंड 10 के अर्थ के भीतर एक 'निर्णय' है। यह देखा जा सकता है कि *गौरी शंकर का मामला* (8) इस प्रश्न पर निर्णय नहीं लिया गया क्योंकि यह विचारार्थ नहीं उठा। अपीलकर्ताओं के वकील श्री जैन ने अपनी दलील के समर्थन में कुछ फैसलों का हवाला दिया कि धारा 110-डी के तहत फैसले के खिलाफ दायर अपील में एक विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के अर्थ के भीतर एक 'निर्णय' है। ठीक यही मुद्दा दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष विचाराधीन था। *दिल्ली नगर निगम का मामला* (2) (सुप्रा), जिसमें विद्वान न्यायाधीशों ने विभिन्न न्यायिक निर्णयों की समीक्षा करने के बाद यह माना कि एक विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के अर्थ के भीतर उच्च न्यायालय का 'निर्णय' था। इससे भी अधिक विपरीत सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला श्री राधे श्याम बनाम शाम बिहारी सिंह[12] दिखाई देगा। उस मामले में विचार के लिए जो सवाल उठा था वह यह था कि क्या सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21, नियम 90 के तहत नीलामी बिक्री को रद्द करने वाला उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश एक 'निर्णय' है और क्या एक पत्र पेटेंट अपील इसके खिलाफ है। न्यायमूर्ति शेलाट ने पूरे मामले के कानून की समीक्षा करने के बाद उच्च न्यायालय से सहमति व्यक्त की और इस तरह के आदेश को लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के अर्थ के भीतर एक 'निर्णय' माना। रिपोर्ट के पृष्ठ 408 पर निम्नलिखित टिप्पणियों को लाभ के साथ पढ़ा जा सकता है:

"एक आदेश को 'निर्णय' होने के लिए हमेशा यह आवश्यक नहीं होता है कि वह मुकदमे में विवाद को समाप्त कर दे या मुकदमा समाप्त कर दे। यहां तक कि मुख्य न्यायमूर्ति काउच द्वारा *कलकत्ता के लिए शांति के न्यायाधीशों*[13] में दी गई 'निर्णय' की संकीर्ण परिभाषा यह थी कि इसका मतलब एक ऐसा निर्णय होना चाहिए जो कुछ अधिकार या दायित्व निर्धारित करके पार्टियों के बीच प्रश्न के गुण-दोष को प्रभावित करता है और ऐसा निर्णय या तो अंतिम, प्रारंभिक या वार्ताकार हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियो का यह निर्णय एक 'निर्णय' की आवश्यक विशेषताओं को इंगित करता है और उसी पर भरोसा करता है जो मुझे कहने की आवश्यकता है। मेरी राय में धारा 110-डी के तहत अपील में एक आदेश उस मामले में तैयार किए गए 'निर्णय' की कसौटी पर खरा उतरता है। यह कहने में कोई फायदा नहीं है कि धारा 110-डी के तहत अपील में इस न्यायालय का आदेश प्रकृति में अंतिम और निश्चित है। यह निर्णायक रूप से मुद्दे में सभी मामलों के संबंध में पार्टियों के अधिकारों को निर्धारित करता है। इस प्रकार, एकमात्र संभावित निष्कर्ष जिस पर पहुंचा जा सकता है वह यह है कि अपील में एक विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय पत्र पेटेंट के खंड 10 के अर्थ के भीतर एक 'निर्णय' है।

6) एकमात्र अन्य बिंदु जिस पर निर्धारण की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या दावों पर निर्णय लेते समय दावा न्यायाधिकरण एक अदालत के रूप में कार्य करता है और उसके समक्ष कार्यवाही मध्यस्थता कार्यवाही की प्रकृति में नहीं है। इससे पहले कि प्रश्न का उत्तर दिया जा

---

[12] 1970 (2) एस.सी. 405

[13] 8 बेंग। एल.आर. 433

सके, यह पता लगाना आवश्यक है कि न्यायालय की विशेषताएं क्या हैं। यह मामला पूर्ण एकीकरण का नहीं है। न्यायालय की विशेषताएं क्या हैं, यह उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप द्वारा विभिन्न निर्णयों में निर्धारित किया गया है। *ठाकुर जुगल किशोर सिन्हा* बनाम *सीतामढ़ी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और एक अन्य*[14] मामले में यह सवाल पूछा गया था कि क्या बिहार और उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम, 1935 के तहत सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार अदालत की अवमानना अधिनियम, 1952 के अर्थ के भीतर काम कर रहे थे। इस विषय पर केस लॉ पर विचार करने के बाद, यह माना गया कि बिहार और उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम के तहत काम करने वाला सहायक रजिस्ट्रार अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 3 के उद्देश्य से उच्च न्यायालय के अधीनस्थ अदालत है। उच्चतम न्यायालय के उनके लॉर्डशिप की निम्नलिखित टिप्पणियां, जो रिपोर्ट के पृष्ठ 1499 पर दिखाई देती हैं, को लाभ के साथ पढ़ा जा सकता है:-

"उपरोक्त से यह ध्यान दिया जाएगा कि धारा 48 के तहत आने वाले विवादों के मामले में अधिनियम की धारा 57 के तहत भूमि के सामान्य सिविल और राजस्व न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को हटा दिया जाता है। इसलिए, धारा 48 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाले रजिस्ट्रार को उन कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा जाना चाहिए जो अन्यथा देश के सामान्य सिविल और राजस्व न्यायालयों पर पड़ते। रजिस्ट्रार के पास केवल एक न्यायालय की शक्तियां नहीं हैं, बल्कि कई मामलों में, उसे वही शक्तियां दी जाती हैं जो नागरिक प्रक्रिया संहिता द्वारा देश के सामान्य सिविल न्यायालयों को दी जाती हैं, जिसमें शपथ पर गवाहों को बुलाने और जांच करने की शक्ति, दस्तावेजों के निरीक्षण का आदेश देने की शक्ति, मुद्दों को तैयार करने के बाद पार्टियों को सुनने की शक्ति शामिल है। अपने स्वयं के आदेश की समीक्षा करना और यहां तक कि नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 151 में उल्लिखित न्यायालयों के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग करना। ऐसे मामले में यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि अधिनियम की धारा 48 के तहत संदर्भित विवाद पर निर्णय लेने में, रजिस्ट्रार सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए है, एक अदालत उसी तरह से अपने कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करती है जैसा कि कानून की अदालत से अपेक्षा की जाती है।"

इसी तरह का एक प्रश्न वीरिंदर कुमार *बनाम* पंजाब राज्य[15] मामले में उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप के समक्ष विचारार्थ आया था, जिसमें यह इस प्रकार देखा गया था:-

"यह मोटे तौर पर कहा जा सकता है, कि एक अदालत को अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण से अलग करने वाली बात यह है कि उस पर न्यायिक तरीके से विवादों का फैसला करने का कर्तव्य है और एक निश्चित निर्णय में पार्टियों के अधिकारों की घोषणा करता है। न्यायिक तरीके से निर्णय लेने के लिए यह शामिल है कि पक्षकार अपने दावे के समर्थन में सुनवाई के अधिकार के मामले के रूप में हकदार हैं और इसके प्रमाण में सबूत जोड़ना चाहते हैं। और यह प्राधिकरण की ओर से एक दायित्व भी आयात करता है कि वह पेश किए गए सबूतों पर विचार करने और कानून के अनुसार मामले का फैसला करे। इसलिए, जब यह प्रश्न उठता है कि क्या किसी अधिनियम द्वारा सृजित प्राधिकारी एक अर्ध-न्यायिक अधिकरण से अलग न्यायालय है, तो यह निर्णय लिया जाना चाहिए कि क्या अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इसमें न्यायालय के सभी गुण हैं।"

---

[14] ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 1494.

[15] ए.आई.आर. 1956 एस.सी. 153

इस स्तर पर कूपर *बनाम* विल्सन[16] के एक अंश का भी संदर्भ दिया जा सकता है, और ब्रजनंदन सिन्हा के मामले *में संदर्भित किया जा सकता है,* जो इस प्रकार है: –

> "एक सच्चा न्यायिक निर्णय दो या दो से अधिक पक्षों के बीच मौजूदा विवाद को पूर्वनिर्धारित करता है, और फिर इसमें चार आवश्यकताएं शामिल होती हैं: (1) विवाद के पक्षों द्वारा उनके मामले की प्रस्तुति (आवश्यक नहीं कि मौखिक रूप से); (2) यदि उनके बीच का विवाद तथ्य का प्रश्न है, तो विवाद के लिए पेटीज द्वारा जोड़े गए साक्ष्य के माध्यम से और अक्सर साक्ष्य पर पार्टियों द्वारा या उनकी ओर से तर्क की सहायता से तथ्य का पता लगाना; (3) यदि उनके बीच विवाद कानून का सवाल है, तो पार्टियों द्वारा कानूनी तर्क प्रस्तुत करना; और (4) एक निर्णय जो विवाद में तथ्यों पर खोज करके पूरे मामले का निपटान करता है और इस तरह पाए गए तथ्यों पर देश के कानून का अनुप्रयोग करता है, जिसमें कानून के किसी भी विवादित प्रश्न पर निर्णय की आवश्यकता होती है।"

इसी तरह का एक सवाल बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष विचार के लिए *श्रीमती राजियाबी कॉसमैन साथी और अन्य* बनाम मेससर्स *मैकिनन मैकेनाज़ी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड*[17]*मे* आया था। उस मामले में विचार के लिए जो प्रश्न उठे वे थे कि क्या कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत आयुक्त ने न्यायालय के रूप में कार्य किया, क्या उनका निर्णय एक निर्णय था और क्या उस अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत अपील में उच्च न्यायालय का आदेश लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के अंतर्गत निर्णय था। विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के बाद विद्वान न्यायाधीशों ने निम्नानुसार निर्णय लिया:

> "अब, आयुक्त द्वारा निपटाए जाने वाले विवाद, मुआवजे का भुगतान करने के लिए किसी भी व्यक्ति की देयता या नियोक्ता और उसके श्रमिकों या उसके कानूनी प्रतिनिधि के बीच मुआवजे की राशि या अवधि के बारे में विवाद हैं, और प्रक्रिया के नियमों के अनुसार आवेदक को आयुक्त के समक्ष एक लिखित आवेदन और एक प्रतिद्वंद्वी को एक लिखित बयान दाखिल करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आयुक्त को उन मुद्दों को तैयार करना और रिकॉर्ड करना होता है जिन पर मामले का सही निर्णय निर्भर करता है और उन्हें साक्ष्य, दस्तावेजी और मौखिक रिकॉर्ड करना होता है, जो पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं; उन्हें कार्यवाही का एक संक्षिप्त रिकॉर्ड बनाए रखना होगा और अंत में प्रत्येक मुद्दे और उसके कारणों पर निष्कर्षों को दर्ज करते हुए अपना "निर्णय" सुनाना होगा। यह भी देखा जाना चाहिए कि आयुक्त के पास लगभग सभी शक्तियां हैं जो एक साधारण सिविल कोर्ट के पास गवाहों को तलब करने, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने, गवाहों की शपथ पर जांच करने और दिए गए सबूतों और दिए गए तर्कों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए होती हैं और धारा 24 के तहत कानूनी चिकित्सकों द्वारा उनके समक्ष पार्टियों का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। धारा 27 के तहत आयुक्त को उच्च न्यायालय के निर्णय के लिए कानून के किसी भी प्रश्न को प्रस्तुत करने की शक्ति भी है। आयुक्त भूमि राजस्व के बकाया के रूप में उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली किसी भी राशि की वसूली कर सकता है ताकि परिणाम कानून की अदालत द्वारा सुनाए गए डिक्री के बराबर हो। धारा 19 (2) अधिनियम के तहत आयुक्त द्वारा तय किए जाने वाले किसी भी प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बाहर करती है। इसलिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उनके समक्ष कार्यवाही मध्यस्थता की प्रकृति की नहीं है, बल्कि एक सिविल कोर्ट में कार्यवाही के करीब है और उनका निर्णय प्रत्येक मुद्दे और उसके कारणों पर उनके निष्कर्षों को दर्ज करने वाला निर्णय है, और यह कि अधिनियम की धारा 19 के तहत विवाद पर निर्णय लेने में आयुक्त है, *जुगल किशोर के मामले*

---

[16] (1937)2 के.बी. 309.

[17] ए.आई.आर. 1970 बॉम्बे 278.

(14) में सुप्रीम कोर्ट की भाषा का उपयोग करना, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए एक अदालत उसी तरह से समान कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करती है जैसे कि कानून की अदालत से अपेक्षा की जाती है।

7) यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि 1960 के मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 100 के अधिनियमन से पहले मोटर वाहनों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा किए गए नुकसान के दावों पर भारत में सामान्य सिविल न्यायालयों द्वारा विचार किया जा रहा था, जिसने पहली बार राज्य सरकार को एक या अधिक दावा न्यायाधिकरणो का गठन करने का अधिकार दिया था। 1956 के केंद्रीय अधिनियम संख्या 100 द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1939 में बड़े पैमाने पर संशोधन किया गया था, ताकि दुर्घटना दावों से निपटने के लिए अधिनियम के तहत गठित दावा न्यायाधिकरण द्वारा मुआवजे के दावों का तेजी से निर्णय किया जा सके। धारा 110 से 110-एफ का समूह मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न व्यक्तियों की मृत्यु या शारीरिक चोट से संबंधित दुर्घटनाओं के संबंध में मुआवजे के दावों पर निर्णय लेने के उद्देश्य से सिविल न्यायालयों के स्थान पर दावा न्यायाधिकरणों के प्रतिस्थापन के विषय से संबंधित है। धारा 110 राज्य सरकार को मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाली व्यक्तियों की मृत्यु या शारीरिक चोट से संबंधित दुर्घटनाओं के संबंध में मुआवजे के दावों पर निर्णय लेने के लिए एक या अधिक दावा न्यायाधिकरणों का गठन करने का अधिकार देती है। उपधारा (3) के तहत, दावा न्यायाधिकरण में नियुक्ति के लिए योग्यता ओं का उल्लेख किया गया है जो यह प्रावधान करता है कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या रहा है, या जिला न्यायाधीश होना चाहिए, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य है। यह केवल उन क्षेत्रों के संबंध में है जिनके लिए ऐसे दावा न्यायाधिकरणो का गठन किया गया है कि सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को छीन लिया जाता है। अधिनियम की धारा 110-ए मुआवजे के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया प्रदान करती है। धारा 110-बी दावा न्यायाधिकरण को यह अधिकार देती है कि पक्षों को 'दावे की जांच करने' और 'मुआवजे की राशि का निर्धारण करने के लिए एक आदेश देने का अवसर दिया जाए.' धारा 110-सी दावा न्यायाधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियों को निर्धारित करती है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि इस संबंध में बनाए जा सकने वाले किसी भी नियम के अधीन, दावा न्यायाधिकरण:

a) इस तरह की सारांश प्रक्रिया का पालन करना है जैसा कि यह उचित लगता है, और

b) मुआवजे के लिए किसी भी दावे पर निर्णय लेने के उद्देश्य से, जांच करने में सहायता करने के लिए जांच से संबंधित किसी भी मामले का विशेष ज्ञान रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को चुन सकता है।

यह भी प्रावधान किया गया है कि दावा अधिकरण

A. सबसे पहले, सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां किसके पास हैं?

a. शपथ पर सबूत लेना,

b. गवाहों की उपस्थिति को लागू करना, और

c. दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं की खोज और उत्पादन को सम्मोहक करना, और

दूसरे, ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा III के अंतर्गत विहित किए जाएं।

B. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 195 और अध्याय XXXV के सभी प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय माना जाएगा

धारा 110-घ दावा अधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील का प्रावधान करती है और यह निम्नलिखित शर्तों में है :-

1. उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, दावा अधिकरण के अधिनिर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति, अधिनिर्णय की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर, उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है:

बशर्ते कि उच्च न्यायालय नब्बे दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील को प्राथमिकता देने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

2. दावा न्यायाधिकरण के किसी भी फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी, अगर अपील में विवाद की राशि दो हजार रुपये से कम है।

धारा 111-ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 110-ए से 110-एफ के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, पंजाब मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियम, 1964 (इसके बाद नियमों के रूप में संदर्भित) तैयार किए गए हैं। इस स्तर पर कुछ प्रासंगिक नियमों का संदर्भ दिया जा सकता है जो निम्नानुसार हैं:-

16. मुद्दों का निर्धारण - किसी भी लिखित बयान, गवाह के साक्ष्य की जांच और किसी भी स्थानीय निरीक्षण के परिणाम पर विचार करने के बाद, दावा न्यायाधिकरण उन मुद्दों को तैयार करने और रिकॉर्ड करने के लिए आगे बढ़ेगा, जिन पर आसानी का सही निर्णय निर्भर करता है।
17. मुद्दों का निर्धारण- मुद्दों को तैयार करने के बाद, दावा न्यायाधिकरण यहां साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए आगे बढ़ेगा जो प्रत्येक पक्ष पेश करना चाहता है।
18. डायरी- दावा न्यायाधिकरण एक आवेदन पर कार्यवाही की एक डायरी बनाए रखेगा,
19. निर्णय और मुआवजा प्रदान करना- दावा अधिकरण, आदेश पारित करते समय एक निर्णय में तैयार किए गए प्रत्येक मुद्दे पर निष्कर्ष और ऐसे निष्कर्षों के कारणों को संक्षिप्त रूप से दर्ज करेगा और बीमाकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली मुआवजे की राशि को निर्दिष्ट करते हुए एक आदेश देगा और उस व्यक्ति या व्यक्तियों को भी मुआवजा दिया जाएगा, जिन्हें मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

2. जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाता है, दावा न्यायाधिकरण उनमें से प्रत्येक को भुगतान की जाने वाली राशि भी निर्दिष्ट करेगा।

20. कुछ मामलों में लागू होने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता,

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के निम्नलिखित उपबंध, जहां तक दावा अधिकरणों के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू हो सकते हैं, अर्थात् आदेश V, नियम 9 से 13 और 15 से 30 आदेश IX, आदेश XIII, नियम 3 से 10; आदेश XVI, नियम

2 से 21; आदेश XVII और आदेश XVIII, नियम 1 से 3

21. दावा अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील का प्रपत्र और तरीका।

दावा न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ अपील को एक ज्ञापन के रूप में प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें संक्षेप में बताया जाएगा कि किस आधार पर अपील को प्राथमिकता दी जाती है। इसके साथ फैसले और उसके खिलाफ अपील किए गए फैसले की एक प्रति भी होगी।

नियमों को पढ़ने मात्र से यह पता चलता है कि नियम 16 के तहत, दावा न्यायाधिकरण को मुद्दों को तैयार करने की आवश्यकता है। नियम 17 के तहत, दावा न्यायाधिकरण उन मुद्दों पर साक्ष्य दर्ज करता है जो प्रत्येक पक्ष पेश करना चाह सकता है। नियम 18 के तहत, दावा न्यायाधिकरण को कार्यवाही का रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है। नियम 19 के तहत, दावा न्यायाधिकरण को एक निर्णय लिखना होता है, उसके कारणों को रिकॉर्ड करना होता है, तैयार किए गए प्रत्येक मुद्दे पर अपना निष्कर्ष देना होता है और किसी भी व्यक्ति द्वारा और किसे भुगतान किए जाने वाले मुआवजे की राशि को निर्दिष्ट करते हुए एक निर्णय देना होता है। नियम 20 के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता के कतिपय उपबंध दावा अधिकरण के समक्ष होने वाली कार्यवाहियों पर लागू किए गए हैं जिसके आधार पर उनके पास लगभग वे सभी शक्तियां हैं जो एक साधारण सिविल न्यायालय के पास गवाहों को तलब करने, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने, गवाहों से शपथ लेकर पूछताछ करने और दिए गए साक्ष्यों और दिए गए तर्कों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने की होती हैं। नियम 21 में दावा न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ दायर की जा सकने वाली अपीलों का रूप और तरीका प्रदान किया गया है और इस नियम की आवश्यकताओं में से एक यह है कि अपील के साथ निर्णय की एक प्रति और उसके खिलाफ अपील की जाएगी। धारा 110-एफ के तहत, दावा न्यायाधिकरण को एक प्रमाण पत्र जारी करने और कलेक्टर के माध्यम से भूमि राजस्व के बकाया के रूप में किए गए किसी भी व्यक्ति से बकाया धन की वसूली प्राप्त करने की शक्ति दी जाती है। धारा 110-एफ मुआवजे के लिए किसी भी दावे से संबंधित किसी भी प्रश्न पर विचार करने के लिए सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को रोकती है, जिस पर उस क्षेत्र के लिए दावा न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि दावा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में मध्यस्थता कार्यवाही के साथ कोई समानता या झलक नहीं है। मध्यस्थता कार्यवाही में मध्यस्थ को मुद्दों को तैयार करने या साक्ष्य रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं होती है और न ही उसे प्रत्येक बिंदु पर अपना निर्णय देने की आवश्यकता होती है। मध्यस्थ के पास अपने पुरस्कारों को लागू करने की कोई शक्ति नहीं है। यह सही है कि अधिनियम में दावा न्यायाधिकरण के निर्णय को एक निर्णय कहा जाता है, लेकिन यह अपने आप में एक निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं होगी कि दावा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही मध्यस्थता कार्यवाही की प्रकृति में है, और दावा न्यायाधिकरण एक मध्यस्थ के रूप में मामले का फैसला करता है। मेरे विचार में, जैसा कि ऊपर उल्लिखित नियमों के अवलोकन से स्पष्ट है, 'पुरस्कार' शब्द का उपयोग 'डिक्री' शब्द के पर्याय के रूप में किया गया है और इसका उपयोग इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए नहीं किया गया है कि दावा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही मध्यस्थता कार्यवाही की प्रकृति में है। मैं अपने इस निष्कर्ष में विशेष रूप से नियम 19 और 21 की भाषा से दृढ़ हूं जहां 'निर्णय' शब्द और 'पुरस्कार' शब्द का अलग-अलग उपयोग किया गया है। नियम 21 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अपील के साथ फैसले की एक प्रति और उसके खिलाफ अपील की गई थी और नियम 19 में यह उल्लेख किया गया है कि दावा न्यायाधिकरण को नियम 16 के तहत तैयार किए गए प्रत्येक मुद्दे और ऐसे निष्कर्षों के कारणों पर संक्षिप्त रूप से निर्णय में एक निष्कर्ष दर्ज करना है। दावा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही सिविल कोर्ट की कार्यवाही से काफी मिलती-जुलती है और *जुगल किशोर के मामले* (14) में सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप की भाषा का उपयोग करने के लिए, दावा ट्रिब्यूनल सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए उसी तरह से अपने कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करता है जैसे कि कानून की अदालत से अपेक्षा की जाती है। मामले के इस दृष्टिकोण में, मैं मानता हूं कि दावा न्यायाधिकरण

के समक्ष कार्यवाही मध्यस्थता कार्यवाही की प्रकृति में नहीं है और दावों का निपटान करते समय दावा न्यायाधिकरण एक अदालत के रूप में कार्य करता है।

8) ऊपर दर्ज कारणों के लिए, प्रश्न का उत्तर हां में दिया गया है और यह माना जाता है कि अधिनियम की धारा 110-डी के तहत दिए गए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ दायर अपील में एक विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपील निहित है।

मुख्य न्यायमूर्ति, हरबंस सिंह - मैं सहमत हूं।

न्यायमूर्ति आर एस नरूला - मैं भी सहमत हूं।

के.एस.के.

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।*

परीक्षित

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

महम, रोहतक,हरियाणा।